



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102025-266952
CG-DL-E-15102025-266952

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4545]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947

No. 4545]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4674(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपने-संबंधित अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	अधिकारी	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	उप विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत सभी भूमि और परिसर।
2.	उप विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र	फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत सभी भूमि और परिसर।
3.	उप विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन सभी भूमि और परिसर।
4.	उप विकास आयुक्त, एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत सभी भूमि और परिसर।
5.	उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन सभी भूमि और परिसर।
6.	उप विकास आयुक्त, सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र	सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत सभी भूमि और परिसर।
7.	उप विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र	विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन सभी भूमि और परिसर।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. के-43022/3/2025-एसईजेड (प्रशासन)]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2025

S.O. 4674(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the table below, being gazetted officers of the Government to be the estate officers for the purposes under that Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said table below, namely:-

TABLE

SI. No.	Officers	Categories of public premises and jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Deputy Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone	All lands and premises under the administrative control and management of the Cochin Special Economic Zone.
2.	Deputy Development Commissioner, Falta Special Economic Zone	All lands and premises under the administrative control and management of the Falta Special Economic Zone.

3.	Deputy Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone	All lands and premises under the administrative control and management of the Kandla Special Economic Zone.
4.	Deputy Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone	All lands and premises under the administrative control and management of the MEPZ Special Economic Zone.
5.	Deputy Development Commissioner, Noida Special Economic Zone	All lands and premises under the administrative control and management of the Noida Special Economic Zone.
6.	Deputy Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone	All lands and premises under the administrative control and management of the SEEPZ Special Economic Zone.
7.	Deputy Development Commissioner, Vishakhapatnam Special Economic Zone	All lands and premises under the administrative control and management of the Vishakhapatnam Special Economic Zone.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. K-43022/3/2025-SEZ(Admin.)]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.